

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रामपुर की तहसील सदर के ग्राम रायपुर की खसरा सं० 318/1 पर रामपुर-शाहबाद मार्ग (एम०डी०आर०-53) किमी० चैनेज 5.383 की बांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प (इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली) के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग पर याचक विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 यथासंशोधित 1988 की धारा-2 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

दिनांक - 12.03.2018

स्थान - रामपुर।

(गजेन्द्र सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर।